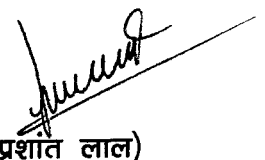


छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक २७ अगस्त, 2014

क्र. 694 /F-01001066/सम./ब-4/चार :: वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 1805/F-04-1001066/सम./ब-4/चार, दिनांक 22.02.2014 में आंशिक संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के पद संरचना में संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

- | | |
|--|-----------|
| 1. श्री सी.जे. खत्री, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग | - अध्यक्ष |
| 2. सामान्य प्रशासन विभाग का प्रतिनिधि
(जो उप सचिव, से निम्न स्तर का न हो) | - सदस्य |
| 3. संबंधित विभाग का बजट देखने वाले
संयुक्त सचिव/उप सचिव | - सदस्य |
| 4. संयुक्त सचिव, नियम शाखा | - सदस्य |


(प्रशांत लाल)
शोध अधिकारी
वित्त विभाग

पृ.क्र. 695 /F-01001066/सम./ब-4/चार

नया रायपुर, दिनांक २७ अगस्त, 2014

प्रतिलिपि :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
2. सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नया रायपुर
3. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव के निज सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
4. समस्त अवर सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ ।


शोध अधिकारी
वित्त विभाग